

75
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)
संख्या:- 23/2003

दायर दिनांक:- 27.01.2006

जीसीएमएस नं. 2006/00057

उनवान

इन्दर पुत्र गंगाधर जाति मीना निवासी सनेट का पुरा तन सनेट तहसील हिण्डौन
जिला करौली राजस्थान

—वादी

बनाम

गिरार्ज पुत्र भोन्गा जाति मीना निवासी सनेट का पुरा तन सनेट तहसील हिण्डौन
जिला करौली राजस्थान

—प्रतिवादीगण-13


दावा बाबत तकास्मा, इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 12/7/2024

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण
में वादीगण एव वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में
बार-बार वादीगण एव वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने
के बाबजूद वादीगण एव वादीगण वकील उपस्थित नहीं। जिससे जाहिर होता है
कि वादीगण एव वादीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे है।
अतः मुकदमा न0 23/06 इन्दर बनाम गिरार्ज अदम हाजिरी व अदम पैरवी में
खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 12.07.2024 को खुले न्यायलय में लिखाया जाकर
सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली

